न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा। —आवेदक—

बनाम

1. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल।
एफबीओ मैसर्सः—वर्धमान फूड प्राडक्ट्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा के पास, मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल
एफबीओ मैसर्सः—वर्धमान फूड प्रॉडक्टस, बांदीकई रोड, सिकन्दरा के पास, मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री किशन सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित।

दिनांकः— 12.04.2023

—: आदेश :—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.01.2022 को दोपहर बाद 02:15 बजे मैसर्सः— वर्धमान फूड प्रॉडक्टस, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा के पास, मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की फैक्ट्री पर करूणा स्पेशल मिक्सर नमकीन पैक की जा रही थी। मौके पर करीबन 200 पॉली पैक 400 ग्राम वजनी नमकीन (करूणा स्पेशल मिक्सर) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पॉली नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) खरीदी। जिसकी कीमत 185 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) के चार पैकिटो को चार कागज के डिब्बों में रखकर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्टेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2823 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.01.2022 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.01.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.01.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./117/एक्ट/2022/117 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। नमूना मिसब्राण्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./117/एक्ट/2022/117 दिनांक 03.02.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) के नमूनें में उपयोग किये गये तेल का नाम एवं अन्य आवश्यक जानकारी लेबल पर निर्दिष्ट नहीं होने के कारण यह खाद्य पदार्थ पैकेजिंग एवं लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के विनियम 2.2.2(2)(c) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 52 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लेने की कार्यवाही करने से पहले कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया एवं सारी कार्यवाही अपने साथ लाये विभाग के कर्मचारी के साथ मिलकर पूरी की गई है। जो कि विधि के विपरीत होने के कारण स्वीकार नहीं है। सैम्पल की जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमे सैम्पल को किस आधार पर मिसब्राण्ड माना गया है ये नहीं बताया गया है। जो अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है उसमें ना तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को सही तरीके से देखा और ना ही यह देखा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की गई है अथवा नहीं। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा/आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./117/एक्ट/2022/117 दिनांक 03.02.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) का नमूना मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) का विक्रय कर पैकेजिंग एवं लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के विनियम 2.2.2(2)(c) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन(करूणा स्पेशल मिक्सर) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल एफबीओ मैसर्सः– वर्धमान फूड प्रॉडक्ट्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा के पास, मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल एफबीओ मैसर्सः– वर्धमान फूड प्रॉडक्ट्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा के पास, मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा पर 10000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.04.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 473-476
दिनांकः–21 .04.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल एफबीओ मैसर्सः–वर्धमान फूड प्राडक्ट्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा के पास, मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
4. श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल एफबीओ मैसर्सः–वर्धमान फूड प्रॉडक्टस, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा के पास, मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा